पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1875
दिनांक 04.08.2025

जोन - दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **रैकी कर मो0सा0 चोरी करने वाले 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **कब्जे से 01 अदद चोरी की मो0सा0 बरामद ।**
- **कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

श्री अमरेद्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के क्रम में श्री निपुण अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी लखनऊ, श्री रल्लापल्ली बसंथ कुमार अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के अनुपालन में श्री विकाश कुमार पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा रैकी कर मो0सा0 चोरी करने वाले 02 बाल अपचारी को आज दिनांक 04.08.2025 को पुलिस संरक्षण में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2025 को समय 00.06 बजे वादी मुकदमा श्री मनीष कुमार वर्मा पुत्र वीरेन्द्र कुमार वर्मा मूल निवासी मो0 थोक मिश्रिख थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर, C/O अमित श्रीवास्व का किराये का मकान 554ख/71/विशेश्वर नगर निकट मंगलेश्वर मंदिर जनपद लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-0367/2025 धारा 303(2) भा0 न्या0 संहिता बनाम अज्ञात चोर, बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा की एक अदद मो0सा0 होण्डा लीवो ग्रे कलर नं0-UP 32 JP 5952 दिनांक 31.07.2025 को म0नं0554 ख/71 विशेश्वर नगर निकट मंगलेश्वर मंदिर से चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया है।

मुकदमा में शीघ्र अनावरण हेतु 02 टीमें गठित की गयी हैं, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल/टेक्निकल ग्राउण्ड सूचना की सहायता से रैकी कर मो0सा0 चोरी करने वाले 02 बाल अपचारी को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 04.08.2025 को समय 10.10 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-मॉड्यूस ऑपरेंडीः-

रैकी कर एकान्त व भीड भाड वाले इलाके में खडी मो0सा0 को चोरी कर सस्ते दामों में विक्रय करना।

04-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष ने पूछताछ में बताया कि मैं अपने मित्र के साथ मिलकर 3-4 दिन पहले यह मोटरसाईकिल विशेश्वर नगर मे महामंगलेश्वर मंदिर के पास बने घर के सामने से चोरी की थी, जिसे आज बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड लिया ।

05-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0-0367 /2025 धारा 303(2)/317(2) भा0 न्या0 सं0 थाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

06-गिरफ्तार/ संरक्षण में अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

- बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष ।
- **शिक्षा- 2nd**
- बाल अपचारी उम्र 14 वर्ष ।
- **शिक्षा- 3rd** ।

07-आपराधिक इतिहास-

- **बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष के विरुद्ध कुल 03 आपराधिक मामले दर्ज हैं-**

1. मु0अ0सं0-0023/2025 धारा 303(2)/317(2) भा0न्या0सं0 थाना मानकनगर कमि0 लखनऊ।

2. मु0अ0सं0-0021/2025 धारा 115(2)/351(2)/352 भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

3. मु0अ0सं0- 0367/2025 धारा 303(2)/317(2) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर कमि0 लखनऊ।

08-गिरफ्तारी स्थल एवं समय-

- स्थान- मुर्दया बैकुठ धाम
- समय-10.10 बजे ।

09-बरामदगी विवरण –

1. 01 अदद मो0सा0 होण्डा लीवो नं0-UP 32 JP 5952

10-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

कोतवाली कृष्णानगर पुलिस , कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1874
दिनांक 04.08.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम

- **थाना नगराम एवं एस.टी.एफ. की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आन्ध्र प्रदेश, उडीसा राज्य से गांजा तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 01 शातिर सदस्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **लग्जरी गाड़ियों से करते थे गांजे की तस्करी।**
- **डेढ़ क्विंटल से अधिक गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये) बरामद।**
- **तस्करी में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियो कार बरामद।**
- **थाना नगराम एवं एस.टी.एफ. की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

कार्यवाही:-

थाना नगराम एवं एस.टी.एफ. की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आन्ध्रप्रदेश, उडीसा राज्य से गांजा तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 01 शातिर सदस्य **शिवम यादव** पुत्र शेर बहादुर यादव निवासी सलेमपुर अचाका थाना नगराम लखनऊ को **पटवा खेडा मोड़ के पास थाना क्षेत्र नगराम** गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से डेढ़ क्विंटल से अधिक अवैध गांजा जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये है व अभियुक्त द्वारा तस्करी में प्रयोग की जाने वाली 01 अदद स्कार्पियो गाड़ी नंबर UP32MA7958 भी बरामद की गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना नगराम पर मु0अ0सं0- 181/25, अंतर्गत धारा 8/20/29/60 NDPS ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:-

दिनांक 04.08.2025 को थाना नगराम व एस.टी.एफ. की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल व टैक्निकल साक्ष्यों के आधार थाना नगराम क्षेत्रान्तर्गत पटवा खेडा के पास से स्कार्पियो कार को चेक किया गया तो एक युवक जो की ड्राईवर सीट पर बैठा था खेतो/झाडियों में कूद कर फरार हो गया तथा एक अन्य युवक शिवम यादव पुत्र शेर बहादुर यादव निवासी सलेमपुर अचाका थाना नगराम लखनऊ जो की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा था को पकड़ लिया गया। पकड़ी गयी गाड़ी से 08 अदद बोरियो में रखे 77 पैकेट कुल वजन 156.6 किलोग्राम अवैध गांजा जिसके अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रूपये है बरामद किया गया। फरार अभियुक्त की पहचान सूरज सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी बहुरवा थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर के रूप में की गयी है, जिसकी तलाश की जा रही है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त शिवम से पूछताछ किये जाने पर ज्ञात हुआ है कि ये अपने साथी सूरज के साथ मिल कर आन्ध्रप्रदेश व उड़ीसा राज्य से गांजा खरीद कर लाता था।

पुलिस से बचने के लिए अपनी लग्जरी गाडी का प्रयोग करता था। ये अभियुक्त सस्ते दाम पर गांजा खरीद के लाते थे तथा उसे अपने सलेमपुर अचाका स्थित पॉल्ट्री फॉर्म में छुपा कर रखते थे। समय समय पर ये जनपद लखनऊ व आस-पास के जनपदों में महंगे दाम पर बेच देते थे।

माड्स ऑपरेन्डी-

शिवम व सूरज 2022 में लखनऊ जेल में मिले थे तथा जेल से छूटने के पश्चात ही दोनों मिलकर गांजा की तस्करी करने लगे। अभियुक्तगण पुलिस से बचने के उद्देश्य से लग्जरी गाडी का प्रयोग करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम पता:-

1. शिवम यादव पुत्र शेर बहादुर यादव निवासी सलेमपुर अचाका थाना नगराम लखनऊ, उम्र करीब 28 वर्ष।

वांछित अभियुक्त:-

1. सूरज सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी बहुरवा थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

शिवम सिंह:-

01.मु0अ0सं0 324/22 धारा 120बी,409,420,477ए भादवि थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ

02. मु0अ0सं0- 181/25, अंतर्गत धारा 8/20/29/60 NDPS ACT थाना नगराम

वांछित अभियुक्त सूरज सिंह:-

1.मु0अ0सं0 156/22 धारा 394 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

2.मु0अ0सं0 172/22 धारा 402 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ

3.मु0अ0सं0 437/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर

4.मु0अ0सं0 132/23 धारा 147/148/149/307/323/427/506 भादवि थाना बल्दीराय सुल्तानपुर

5.मु0अ0सं0 103/25 धारा 115(2),3(5),324(4),351(3),352 बी0एन0एस0 थाना बल्दीराय सुल्तानपुर

6. मु0अ0सं0- 181/25, अंतर्गत धारा 8/20/29/60 NDPS ACT थाना नगराम जनपद नगराम।

बरामदगी का विवरण -

1. 08 अदद बोरियो में रखे 77 पैकेट कुल वजन 156.6 किलोग्राम अवैध गांजा
2. 01 अदद स्कार्पियो गाड़ी नंबर UP32 MA7958

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना नगराम लखनऊ व एस.टी.एफ. की संयुक्त पुलिस टीम।

नोट:- श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम उत्साहवर्धन हेतु 15 हजार रुपये से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1879
दिनांक- 04.08.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना-ठाकुरगंज

- **वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.2025 को ठाकुरगंज पुलिस को वादिनी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी नानापीर की मजार गऊघाट के पास रहने वाला जमाल पुत्र स्व0 मो0 सिराज विगत 06 वर्षों से उसको शादी का झांसा व मकान देने को लेकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहा है व शोषण कर रहा है थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा उक्त सूचना का संज्ञान लेकर वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0451/2025 धारा-69/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी। गठित टीम के अथक प्रयास व सूझबूझ से अभियुक्त जमाल पुत्र स्व0 मो0 सिराज नि0 निकट नाना पीर की मजार गऊघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 40 वर्ष को वादिनी मुकदमा के सूचना देने के महज 02 घन्टे के अंदर ही बंधा रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारशुदा के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-जमाल पुत्र स्व0 मो0 सिराज नि0 निकट नाना पीर की मजार गऊघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 40 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0-0451/2025 धारा-69/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुधाकर पाण्डेय थाना ठाकुरगंज लखनऊ
2. का0 विनय प्रताप सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
3. का0 अनुराग पाण्डेय थाना ठाकुरगंज लखनऊ
4. का0 दीपनारायण थाना ठाकुरगंज लखनऊ
5. का0 बृजेश कुमार यादव थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1880
दिनांक-04.08.2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **बंद घर मे चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2025 को ठाकुरगंज पुलिस को वादी मुकदमा श्री मो0 युसूफ द्वारा सूचना दी गयी कि वह अपने परिवार सहित अपने रिश्तेदारों के घर पर गये हुए थे घर का ताला बंद था इसी का फायदा उठाकर किसी नें उनके घर में रखी नकदी व जेवरात चोरी कर लिये है उक्त सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0-450/2025 धारा 305(a) /331(4 बीएनएस पंजीकृत कर माल-मुल्जिमान की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गयी।

सूचना प्राप्त होने के महज 24 घण्टे के अंदर ही ठाकुरगंज पुलिस नें बंद घर में चोरी करने वाले अभियुक्त 01-सूरज रावत पुत्र जगन्नाथ नि0-हरी मजार फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 49 वर्ष 02-श्याम तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी नि0-गौशाला रोड वृन्दावन कालोनी लेन-2ल आम्रपाली थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र लगभग 20 वर्ष के रूप में पहचान करते हुए मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर भूहर पुल के पास से चोरी गये माल के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गये 05 जोड़ी पायल व 03 अदद अंगूठी(मर्दाना) व 30 जोड़ी बिछुआ एक जोड़ी कंगन समस्त आभूषण सफेद धातु व 13000 रू0 बरामद हुए। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सूरज रावत पुत्र जगन्नाथ नि0-हरी मजार फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 49 वर्ष
02. श्याम तिवारी पुत्र कमलेश तिवारी नि0-गौशाला रोड वृन्दावन कालोनी लेन-2ल आम्रपाली थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र लगभग 20 वर्ष

03-बरामदगी का विवरण –

- 05 जोड़ी पायल व
- 03 अदद अंगूठी(मर्दाना) व
- 30 जोड़ी बिछुआ एक जोड़ी कंगन समस्तआभूषण सफेद धातु
- 13000 रू0 नगद

04-अभियुक्त श्याम तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

01.मु0अ0सं0- 235/2024, धारा- 380/411/457 आईपीसी थाना ठाकुरगंज लखनऊ
02.मु0अ0सं0- 150/24 धारा- 392/411 आईपीसी थाना पारा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1878
दिनांक- 04.08.2025

जोन-पूर्वी/ थाना-विभूतिखण्ड

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास से सम्बन्धित अभियुक्त को कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना विभूतिखण्ड सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार कां० संतोष कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए **माननीय न्यायालय श्रीमान स्पे.(जज) पीसी एक्ट 08 लखनऊ** के निर्णायक फैसला दिनांक 04.08.2025 सम्बन्धित वाद संख्या 953/21, मु.अ.सं. 579/20 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अमित कुमार सिंह उर्फ दीनू पुत्र स्व. भानू प्रताप सिंह निवासी भरवारा विभूतिखण्ड लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड ना देने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।

02-नाम व पता अभियुक्तगण / सम्बन्धित अभियोग व सजा-

1. अमित कुमार सिंह उर्फ दीनू पुत्र स्व. भानू प्रताप सिंह निवासी भरवारा विभूतिखण्ड लखनऊ

03-फैसला-

वाद संख्या 953/21, मु.अ.सं. 579/20 धारा 307 भादवि थाना विभूतिखण्ड लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त मो अमित कुमार सिंह उर्फ दीनू पुत्र स्व. भानू प्रताप सिंह निवासी भरवारा विभूतिखण्ड लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड ना देने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया जाएगा।

04-पैरवीकर्ता-

1. श्री सुनील कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना विभूतिखण्ड
2. कां0 संतोष कुमार, मा. न्यायालय पैरोकार थाना विभूतिखण्ड

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1876
दिनांक- 04.08.2025

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

- घर में चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद कड़े (बच्चे के), 01 जोड़ी पायल व रुपए 1440/- नकद बरामद।

01-कार्यवाही:-

दिनाँक 26.07.2025 को शिकायतकर्ता श्रीमती तुलसी चन्द्र पुत्री श्री वीर बहादुर चन्द्र निवासी सेक्टर 5 विकासनगर थाना विकासनगर लखनऊ के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0- 110/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ।

विकासनगर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. गौतम शुक्ला उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र स्व0 विजय शुक्ला निवासी मोहिनी पुरवा, रेखा अस्पताल के पास थाना ठाकुरगंज, लखनऊ, मूल पता ग्राम मंझउआ थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर 02-रजत मिश्रा उर्फ विक्की उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र वेदप्रकाश मिश्रा निवासी सेक्टर एम थाना आशियाना लखनऊ मूल पता ग्राम सतरिख थाना सतरिख जनपद बाराबंकी को टेढी पुलिया से सचिवालय कट को जाने वाले मार्ग पर घटना में प्रयुक्त हीरो सुपर स्पलेन्डर मोटर साइकिल संख्या UP55AQ7999 के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण के कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित 02 अदद कड़े (बच्चे के) सफेद धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु व रुपए 1440/- नकद बरामद बरामद हुआ है। अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने के पर्याप्त प्रमाणिक एवं ग्राह्य साक्ष्य विद्यमान पाये जाने पर अन्तर्गत धारा 305(a)/331(4)/317(2)/112(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत करते हुए जिला कारागार लखनऊ निरूद्ध किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण -

(1) गौतम शुक्ला पुत्र स्व0 विजय शुक्ला निवासी मोहिनी पुरवा, रेखा अस्पताल के पास थाना ठाकुरगंज, लखनऊ मूल पता ग्राम मंझउआ थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 34 वर्ष ।

(2) रजत मिश्रा उर्फ विक्की पुत्र वेदप्रकाश मिश्रा निवासी सेक्टर एम थाना आशियाना लखनऊ मूल पता ग्राम सतरिख थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी उम्र करीब 25 वर्ष ।

03-बरामदगी –

- 02 अदद कड़े (बच्चे के) सफेद धातु।
- 01 जोड़ी पायल सफेद धातु।
- 1440/- रूपये नकद (अभियोग में चोरी गयी अंगूठी को बेचने से बची धनराशि)
- घटना में प्रयुक्त हीरो सुपर स्पलेन्डर मोटर साइकिल सं0 UP55AQ7999 इंजन नं० JA07AMP9L01749, चेसिस नंबर MBLJAW404P9L00953

05- अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 110/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2)/112(2) बीएनएस थाना विकासनगर लखनऊ।

06-आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौतम शुक्ला-

1. मु0अ0सं0 94/15 धारा 380/411 भा0द0वि थाना गोमतीनगर, लखनऊ।
2. अपराध संख्या 104/15 धारा 457/380/411 भा0द0वि थाना गोमतीनगर, लखनऊ।
3. अपराध संख्या 122/15 धारा 41/411 भा0द0वि थाना गोमतीनगर, लखनऊ।
4. अपराध संख्या 474/15 धारा 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना गोमतीनगर, लखनऊ।।
5. अपराध संख्या 020/16 धारा 457/380/411 भा0द0वि थाना तालकटोरा, लखनऊ।
6. अपराध संख्या 143/19 धारा 457/380/411 भा0द0वि थाना बाजारखाला, लखनऊ।
7. अपराध संख्या 146/18 धारा 457/380/411 भा0द0वि थाना बाजारखाला, लखनऊ।
8. अपराध संख्या 377/18 धारा 457/380/411 भा0द0वि थाना बाजारखाला, लखनऊ।
9. अपराध संख्या 150/18 धारा 457/380/413/414 भा0द0वि थाना अमीनाबाद, लखनऊ।
10. अपराध संख्या 221/18 धारा-380/411 भा0द0वि थाना तालकटोरा, लखनऊ।
11. अपराध संख्या 222/18 धारा 380/411 भा0द0वि थाना तालकटोरा, लखनऊ।
12. अपराध संख्या 292/18 धारा-457/380/411 भा0द0वि थाना तालकटोरा, लखनऊ।
13. अपराध संख्या 761/18 धारा-457/380/411/413/414/120बी भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
14. अपराध संख्या 787/18 धारा-457/380/411/413/414/120बी भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
15. अपराध संख्या 873/18 धारा-457/380/411/413/414/120बी भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
16. अपराध संख्या 1453/18 धारा- धारा 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
17. अपराध संख्या 181/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ।
18. अपराध संख्या 183/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ।
19. अपराध संख्या 223/19 धारा- 413 भा0द0वि थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ।
20. अपराध संख्या 299/19 धारा- 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ।
21. अपराध संख्या 146/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना हुसैनगंज, लखनऊ।
22. अपराध संख्या 263/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना जानकीपुरम, लखनऊ।
23. अपराध संख्या 235/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना विकासनगर, लखनऊ।
24. अपराध संख्या 299/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना गुडम्बा, लखनऊ।
25. अपराध संख्या 308/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना गुडम्बा, लखनऊ।
26. अपराध संख्या 402/19 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना गुडम्बा, लखनऊ।
27. अपराध संख्या 154/21 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना वजीरगंज, लखनऊ।
28. अपराध संख्या 157/21 धारा- 457/380/411/413 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
29. अपराध संख्या 178/21 धारा- 457/380/411/413 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
30. अपराध संख्या 191/21 धारा- 457/380/411/413/414 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
31. अपराध संख्या 193/21 धारा- 380/411 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
32. अपराध संख्या 200/21 धारा- 457/380/411/413 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
33. अपराध संख्या 243/21 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
34. अपराध संख्या 244/21 धारा- 457/380/411/414 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।

35. अपराध संख्या 249/21 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
36. अपराध संख्या 256/21 धारा- 411 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
37. अपराध संख्या 60/22 धारा- 454/380 भा0द0वि थाना सैरपुर, लखनऊ।
38. अपराध संख्या 156/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना हसनगंज, लखनऊ।
39. अपराध संख्या 180/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना हसनगंज, लखनऊ।
40. अपराध संख्या 117/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना विकासनगर, लखनऊ।
41. अपराध संख्या 128/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना विकासनगर, लखनऊ।
42. अपराध संख्या 207/22 धारा- 380/411 भा0द0वि थाना आलमबाग, लखनऊ।
43. अपराध संख्या 228/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना महानगर, लखनऊ।
44. अपराध संख्या 263/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना अलीगंज, लखनऊ।
45. अपराध संख्या 404/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना मड़ियाव, लखनऊ।
46. अपराध संख्या 413/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना मड़ियाव, लखनऊ।
47. अपराध संख्या 460/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना मड़ियाव, लखनऊ।
48. अपराध संख्या 491/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना मड़ियाव, लखनऊ।
49. अपराध संख्या 415/22 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
50. अपराध संख्या 431/23 धारा- 380/411 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
51. अपराध संख्या 459/23 धारा- 457/380/411 भा0द0वि थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
52. अपराध संख्या 197/24 धारा- 3(1) गैंगे0 एक्ट थाना ठाकुरगंज, लखनऊ।
53. अपराध संख्या 70/24 धारा- 305(a), 331(4), 62 बीएनएस थाना कोतवाली, आगरा।
54. अपराध संख्या 216/24 धारा- 312/313 बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना कमलानगर, आगरा।

07-आपराधिक इतिहास अभियुक्त रजत मिश्रा उर्फ विक्की -

1. अपराध संख्या 01/17 धारा 41/411/413 भा0द0वि थाना पारा, लखनऊ।
2. अपराध संख्या 593/16 धारा 379/411 भा0द0वि थाना पारा, लखनऊ।
3. अपराध संख्या 606/16 धारा 380/411 भा0द0वि थाना पारा, लखनऊ।
4. अपराध संख्या 607/16 धारा 380/411 भा0द0वि थाना पारा, लखनऊ।
5. अपराध संख्या 178/20 धारा 22/8B नोरकोटिक ड्रग्स एण्ड साइक्रोट्रोपिक सब्सटानसिस एक्ट, 1985 थाना आशियाना, लखनऊ।
6. अपराध संख्या 233/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि थाना आशियाना, लखनऊ।
7. अपराध संख्या 274/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि थाना आशियाना, लखनऊ।

08-गिरफ्तार करने वाली थाना विकासनगर की पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 अतुल कुमार, बीट प्रभारी मिनी स्टेडियम, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 राम धीरज यादव, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
4. उ0नि0 प्रवीण कुमार सिंह, थाना विकासनगर,पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
5. आरक्षी संतोष कुमार यादव, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं.-1877
दिनांक 04.08.2025

यातायात पुलिस लखनऊ

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है, कि चन्द्रदर्शन के अनुसार दिनांक 26/27.07.2025 से इस्लामिक माह सफर प्रारम्भ हुआ है। इस्लामी माह (सफर) के 10वीं सफर दिनांक 05/06.08.2025 को इमामबाड़ा थानाक्षेत्र चौक में समय 17:00 बजे से ''72 ताबूतो का जुलूस'' (7000-8000) इमामबाड़ा परिसर के अन्दर गश्त किया जाना एवं दरिया वाली मस्जिद थानाक्षेत्र चौक में समय 20:00 बजे से ''आग का मातम'' किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पर्व के अवसर पर दिनांक 05/06.08.2025 को समय 15:00 बजे से प्रारम्भ होकर कार्यक्रम की समाप्ति तक यातायात/डायवर्जन व्यवस्था निम्नवत रहेगा-

1. डालीगंज चौराहा/शाहमीना तिराहा से किसी भी प्रकार का वाहन जिन्नातो वाली मस्जिद/बड़ा इमामबाड़ा/रूमी गेट पुलिस चौकी चौराहा की ओर नही जा सकेगे बल्कि यह वाहन मेडिकल कालेज चौराहा, चौक चौराहा, कोनेश्वर चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगे।
2. रूमी गेट पुलिस चौकी चौराहा से किसी भी प्रकार का वाहन बड़ा इमामबाड़ा/जिन्नातो वाली मस्जिद की तरफ नही जा सकेागा, बल्कि यह वाहन कुड़ियाघाट गेट, नया पक्का पुल, खदरा तिराहा होकर अपने गतव्य को जा सकेंगे।
3. खदरा तिराहा से किसी भी प्रकार का वाहन पक्का पुल चौराहा की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन नया पक्का पुल होते हुये रूमी गेट पुलिस चौकी चौराहा, चौक चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे।
4. डालीगंज रेलवे क्रासिंग की तरफ से रोडवेज/सिटी बसे खदरा/पक्का पुल चौराहा की तरफ नही जा सकेगा, बल्कि यह वाहन चौराहा नं0-8, आई0टी0 चौराहा होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा।

नोटः-सामान्य यातायात हेतु प्रदान डायवर्जन मार्ग के अतिरिक्त यदि किसी जन-सामान्य की चिकित्सकीय अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबन्धित मार्ग पर भी एम्बुलेन्स, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन इत्यादि को ट्रैफिक पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा जुलूस के दौरान अनुमन्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल नंम्बर-9454405155 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

यातायात पुलिस लखनऊ।